महत्वपूर्ण

संख्याः 929 /नौ–4–13–43ज/12

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2013

विषयः नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/जल निगम/जल संस्थानों में की जा रही नियुक्तियों पर शासन की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4219/नौ–4–12–43ज/12, दिनांक31.10.2012 एवं 4219(1)/नौ–4–12–43 ज /12, दिनांक 11.02.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह व्यवस्था है कि नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/जल निगम/जल संस्थानों में की जाने वाली समस्त नियुक्तियों में शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यदि किसी निकाय/संस्था में कार्यहित में नियुक्तियां किया जाना अपरिहार्य हो तो इस हेतु पूर्ण औचित्य के साथ निकाय/संस्था की आर्थिक स्थिति के विवरण सहित प्रस्ताव शासन के पूर्वानुमति हेतु प्रेषित किया जाय व शासन की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाय।

2. उपर्युक्त शासनादेश के दृष्टिगत कतिपय नगर निगमों द्वारा मृतक आश्रित एवं विकलांग कोटे के अंतर्गत की जाने वाली नियुक्तियों की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के आधार पर उक्त प्रकृति की नियुक्तियों पर शासन से पूर्वानुमति की अपरिहार्यता को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगमों द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–4219/नौ–4–12–43ज/12, दिनांक 31.10.2012 एवं 4219(1)/नौ–4 –12–43ज/12, दिनांक 11.02.2013 को इस सीमा तक शिथिल किया जाता है कि मृतक आश्रित एवं विकलांग कोटे के अंतर्गत की जाने वाली नियुक्तियों हेतु शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4. उक्त शासनादेश संख्या–4219/नौ–4–12–43ज/12, दिनांक 31.10.2012 एवं 4219(1)/नौ–4–12–43ज/12, दिनांक 11.02.2013 की शेष व्यवस्था यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सी0बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4–समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उ0प्र0।
5–नगर विकास अनुभाग–1, 3, 6 एवं 7
6–कम्प्यूटर सेल।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

S-
G.O..doc--420-